तीन रेजीडेंट चिकित्सक निलम्बित, अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस

कांवटिया अस्पताल में खुले में प्रसव होने का मामला

- **जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया रेजीडेंट डॉक्टर डॉ. कुसुम सैनी, डॉ. नेहा राजावत एवं डॉ. मनोज की गंभीर लापरवाही एवं संवेदनहीनता सामने आई है।**

जयपुर। राजधानी के कांवटिया अस्पताल में गर्भवती महिला का खुले में प्रसव होने के प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए तीन रेजीडेंट चिकित्सकों डॉ. कुसुम सैनी, डॉ. नेहा राजावत और डॉ. मनोज को निलम्बित कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने प्रकरण में पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजेन्द्र सिंह तंवर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रकरण सामने आने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया रेजीडेंट डॉक्टर डॉ. कुसुम सैनी, डॉ. नेहा राजावत एवं डॉ. मनोज की गंभीर लापरवाही एवं संवेदनहीनता सामने आई है। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज की अनुशासनात्मक समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार इन तीनों रेजीडेंट चिकित्सकों को निलम्बित किया गया है। साथ ही पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजेन्द्र सिंह तंवर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

सिंह ने कहा कि बुधवार को जयपुर के कांवटिया अस्पताल में एक महिला का अस्पताल के गेट पर प्रसव होने का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। मानवीयता से जुड़े चिकित्सकीय पेशे में ऐसे असंवेदनशील व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चलते चिकित्सकों ने गर्भवती महिला को जनाना अस्पताल रेफर करने की सलाह दी थी, लेकिन स्पष्ट रूप से रेफर नहीं किए जाने के कारण भ्रामक स्थिति पैदा हुई और महिला अस्पताल से बाहर आ गई तथा उसका खुले में प्रसव हो गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि मानवीय एवं जनसेवा से जुड़े इस पेशे से संबंधित सभी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं अन्य कार्मिकों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना एवं जीवन रक्षा ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने बताया कि असंवेदनशील व्यवहार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा। कहीं भी ऐसा मामला सामने आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि कांवटिया अस्पताल में खुले में प्रसव प्रकरण संज्ञान में आते ही अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से मौके पर भेजा था। साथ ही अगले दिन ही विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी थी।

गौरतलब है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने गर्भवती महिला को एडमिट नहीं किया। उसे जनाना हॉस्पिटल रेफर कर दिया। हॉस्पिटल में खड़ी एंबुलेंस से मदद मांगी तो ड्राइवर ने जाने से इनकार कर दिया। कोई हॉस्पिटल स्टाफ मदद के लिए आगे नहीं आया। इतने में महिला ने हॉस्पिटल गेट पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। मामला बढ़ता देख हॉस्पिटल प्रशासन चेता और महिला को वार्ड में ले गया।

मंत्रालयिक कर्मचारियों का रक्तदान शिविर आज

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ जयपुर एवं गंगानगर शुगर मिल्स के संयुक्त तत्वाधान में 5 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जायेगा। शिविर का आयोजन वित्त(राजस्व) विभाग के शासन सचिव के. के. पाठक की अध्यक्षता में प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे वित्त भवन, डी ब्लॉक ज्योति नगर, जयपुर में किया जायेगा।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अतिरिक्त निदेशक सतीश चंद गोयल ने बताया कि शहर के अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता में वृद्धि करने के मानवीय उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संघ के सदस्यों के साथ ही अन्य विभागों के कर्मचारी, अधिकारी तथा आमजन द्वारा रक्तदान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि शिविर में करीब 500 यूनिट रक्त एकत्रित होने की सम्भावना है। कार्यक्रम कोष एवं लेखा विभाग के निदेशक भूपेश माथुर, निरीक्षण विभाग के निदेशक संजय सोलंकी, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के निदेशक मेवाराम जाट एवं पेंशन विभाग के निदेशक देवराज के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया जायेगा।

भरतपुर से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी संजना जाटव ने गुरूवार को जयपुर स्थित निवास पर पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पायलट का गुलदस्ता देकर स्वागत किया।

राहुल गांधी का नामांकन खारिज करने की मांग

जयपुर। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य और बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व डिप्टी चेयरमैन एडवोकेट योगेन्द्र सिंह तंवर ने राहुल गांधी की ओर से केरल की वायनाड लोकसभा क्षेत्र से भरे गए नामांकन फॉर्म में चुनाव आयोग से तथ्य छिपाने और अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाया है। एडवोकेट योगेन्द्र सिंह तंवर ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने नामांकन फॉर्म 26 के शपथ-पत्र में पैरा संख्या-2 में अनुलग्नक-ए होना लिखा है, जबकि ये अनुलग्नक-ए फॉर्म के साथ नहीं लगाया गया। इसके अलावा नामांकन फॉर्म में अनुलग्नक- बी में आपराधिक रिकॉर्ड के पैरा संख्या 5 में यह लिखकर बताया कि यह जानकारी एक अलग शीट के रूप में अनुलग्नक-बी में दी गई है। परंतु जब अनुलग्नक-बी की जांच की गई तो इसमें ना ही दिनांक लिखी गई है।

लक्ष्य वालिया की उम्रकैद की सजा निलंबित

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने डेटिंग एप्लीकेशन के जरिए प्रेमजाल में फंसाकर फिरौती के लिए युवक का अपहरण कर बाद में उसकी हत्या करने के मामले में सह अभियुक्त लक्ष्य वालिया को मिली उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश लक्ष्य वालिया की आपराधिक अपील में पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए।

एस.आई. भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने कहा, ''अधिकारी पूछताछ करने से पहले पट्टों से मारते हैं''

गिरफ्तार 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल को चार दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा

- **अदालत ने एसओजी को कहा है कि वह पुलिस अभिरक्षा की अवधि में हर 24 घंटे में आरोपियों का मेडिकल कराए।**
- **आरोपियों ने कहा कि उन्हें समय पर न तो भोजन-पानी दिया जा रहा है और ही सोने दिया जा रहा है।**

जयपुर। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर द्वितीय ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए 11 ट्रेनिंग एसआई और एक कांस्टेबल को चार दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। इसके साथ ही अदालत ने एसओजी को कहा है कि वह पुलिस अभिरक्षा की अवधि में हर 24 घंटे में आरोपियों का मेडिकल कराए।

एसओजी की ओर से आरोपी सुरेंद्र, दिनेश, भालाराम, राकेश, सुभाष, अजय, जयराज, मनीष, मंजू, चेतन, हरखू और अभिषेक को अदालत में पेश किया गया। इस दौरान एसओजी ने कहा कि कि रुपए के लेनदेन सहित अन्य पूछताछ के लिए आरोपियों को 12 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाए। जिसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि एसओजी को हर आरोपी की डिमांड मांगते समय उसका कारण बताना चाहिए। सभी आरोपियों का मशीन अंदाज में 12 दिन का रिमांड मांगा गया है। इसके अलावा उन्हें गिरफ्तारी से पूर्व सीआरपीसी की धारा 41 ए का नोटिस भी नहीं दिया गया। वहीं अदालत के पूछने पर महिला अभ्यर्थी सहित कुछ अन्य आरोपियों ने एसओजी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। आरोपियों की ओर से कहा गया कि अधिकारी पूछताछ से पहले पट्टों से मारपीट करते हैं। इसके अलावा उन्हें समय पर न तो भोजन-पानी दिया जा रहा है और ही सोने दिया जा रहा है। उन्हें मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है। एसओजी के पास हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। आरोपियों की ओर से कहा कि उन्हें 2 अप्रैल को पूछताछ के बहाने बुलाया गया था और फिर अवैध हिरासत में रखते हुए 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया है। इस पर अदालत ने एसओजी के जांच अधिकारी से पूछा कि जब 24 घंटे में अदालत में पेश करने का प्रावधान है तो फिर उन्हें समय पर पेश क्यों नहीं किया गया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे तो हिरासत में रखते हुए महीने भर भी पूछताछ की जा सकती है।

गौरतलब है कि एसओजी की टीम मंगलवार को सुबह करीब 9.30 राजस्थान पुलिस एकेडमी पहुंची थी। यहां तीन घंटे तक आरोपियों से पूछताछ की थी। इसके बाद 15 ट्रेनी एसआई को डिटेन कर एसओजी मुख्यालय लाया गया था। इसमें 2 महिला और 13 पुरुष सब इंस्पेक्टर शामिल थे। यहां पूछताछ के बाद बुधवार को 11 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया था।

इसके अलावा एसओजी ने जोधपुर कमिश्नरेट के सदर बाजार थाने में तैनात कॉन्स्टेबल अभिषेक बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया था। अभिषेक बिश्नोई एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पास हुआ था, लेकिन उसने जॉइन नहीं किया था।

देवनानी से कुलपति की मुलाकात

जयपुर। विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी से विधानसभा में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अंबरीश शरण विद्यार्थी ने शिष्टाचार मुलाकात की। वही देवनानी से गुरूवार को यहां विधानसभा में इंडियन ओवर सिज बैंक के सीनियर रिजनल मैनेजर अमित अनु और रिजनल रिर्सोस मैनेजर प्रमोद महिन्द्रा ने शिष्टाचार मुलाकात की।

वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक देवी सिंह नरूका का निधन

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार व लेखक 87 वर्षीय देवीसिंह नरुका का गुरुवार की दोपहर हृदयघात से आकस्मिक निधन हो गया। ग़ौरतलब है कि देवी सिंह नरूका जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार से डिप्टी डायरेक्टर कि पद से सेवानिवृत्त हुए थे। जनसंपर्क विभाग से पहले जयपुर राजघराने में सवाई मान सिंह व राजमाता गायत्री देवी के सानिध्य में भी इन्होंने रामबाग में अपनी सेवाएँ दीं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी देवी सिंह नरूका ने सेवानिवृत्ति के बाद जयपुर दूरदर्शन के लिए भी समाचार संपादक के रूप में भी कार्य किया। अपने कुशल संपादन व साहित्यिक गतिविधियों के लिए राजस्थान में ख्यात रहे देवी सिंह नरुका के निधन से पत्रकारिता व साहित्य जगत में शोक की लहर है।

देवी सिंह नरूका

जर्मन पर्यटक से दुष्कर्म करने वाले मोहंती को सरेंडर के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। प्रदेश के अलवर में जर्मन पर्यटक से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त बित्रिहोत्रा मोहंती उर्फ बिट्टी मोहंती को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी माना है। इसके साथ ही अदालत ने मोहंती को दो माह में जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर करने को कहा है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह आदेश मोहंती की एसएलपी को खारिज करते हुए दिए।

गौरतलब है कि अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 20 मार्च, 2006 को जर्मन पर्यटक से दुष्कर्म करने के मामले में तत्कालीन आईपीएस अधिकारी के पुत्र बित्रिहोत्रा उर्फ बिट्टी मोहंती को दोषी माना था। इसके साथ ही अदालत ने 12 अप्रैल, 2006 को मोहंती को सात साल की सजा और दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया था। इस आदेश के खिलाफ पेश अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना था। दूसरी ओर निचली अदालत से मिली सजा काटने के दौरान 20 नवंबर, 2006 को मोहंती को मां की बीमारी के आधार पर पन्द्रह दिन की पैरोल मिली थी। जिसके चलते चार दिसंबर, 2006 को उसे वापस जेल में जाना था, लेकिन वह फरार हो गया। वहीं पुनः गिरफ्तार होने के बाद निचली अदालत ने 16 अक्टूबर, 2014 को फरार होने के मामले में तीन माह की सजा सुनाई थी।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य कर्नल अजय कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री बलेश्वर सिंह, निवासी- प्लेट नंबर ए-314, थर्ड फ्लोर, वैशाली रिट्रेट प्लाट नंबर-1, खसरा नंबर -92/2-ए, प्रताप नगर, क्वींस रोड, जयपुर के द्वारा फ्लेट नंबर ए-314, थर्ड फ्लोर, वैशाली रिट्रेट प्लाट नंबर-1, खसरा नंबर -92/2-ए, प्रताप नगर, क्वींस रोड, जयपुर को उसकी वर्तमान स्वामी श्रीमती सरोज गोयल पत्नी श्री अनुप गोयल, निवासी- 357, नेमी सागर कॉलोनी, क्वींस रोड, जयपुर से संपत्ति खरीदने का इकरार किया गया है। उक्त क्रय की जा रही अचल संपत्ति के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति/ऐतराज हो तो वह मय दस्तावेजात् आगामी 07 दिवस में मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर मुझसे सम्पर्क करें। अन्यथा बाद गुजरने मियाद मेरे अभिभाष्य के विरूद्ध आपत्ति/ऐतराज शून्य व निष्प्रभावी माना जावेगा।
(मनोज जैन) एडवोकेट R.N. आर/1814/2020 - 9983364446

आम सूचना व खण्डन सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भौरी देवी द्वारा एक भ्रामक नोटिस दिनांक 04-04-2024 को प्रकाशित कराया गया है। भौरी देवी स्व. बद्री की लडकी नहीं है, अपितु स्व. बद्री का एकमात्र सन्तान पुत्र रामस्वरूप है। खसरा नम्बरान 492, 493 ग्राम श्रीकिशनपुरा तह-सांगानेर व प्लॉट्स का एकमात्र मालिक व स्वामी मिनअभिभाष्य महेन्द्र पुत्र सरवण नि. ग्राम श्रीकिशनपुरा सांगानेर है व हर प्रकार से अपनी सम्पत्तियों का प्रबन्धन कर चुका है व कोई भी व्यक्ति, संस्था भौरी देवी व उनके कानूनी सलाहकारो के नोटिस व बातो के झांसो में ना आवे।
जयपुर (दिनेश जडेजा) एडवोकेट
दिनांक-04/04/24 मो.नं.9928239523

आम सूचना सूचित रहे कि मेरे अभिभाष्यगण पवन कुमार यादव एवं कविता देवी, निवासीगण- ग्राम जयसिंहवास, पोस्ट लोटिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू के पुत्र-पुत्रवधु सुमित कुमार यादव पूजा यादव मेरे अभिभाष्यगण के कहने में नहीं है तथा उनका आचरण व व्यवहार मेरे अभिभाष्यगण के विपरीत है, इसलिए मेरे अभिभाष्यगण उन्हे अपने स्वामित्व की समस्त चल-अचल सम्पति के अधिकारो से बेदखल करते है उनसे अब कोई सम्बन्ध नहीं रहा। कोई भी व्यक्ति भविष्य में मेरे अभिभाष्यगण के पुत्र-पुत्रवधु से कोई लेन देन व सम्बन्ध रखता है तो उसके लिए वे स्वंय जिम्मेदार होंगे।
जयपुर (राकेश यादव) एडवोकेट
दिनांक:4/4/24 मो.-9414254160

आम-सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य हनुमान जाट पुत्र श्री कजोडमल जाट, निवासी ग्राम मोहनपुरा, पृथ्वी सिंह, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ने अपने परिचित गजानन्द यादव व नरेन्द्र कुमार चौधरी के मध्य हुये समझौते के तहत गजानन्द यादव के कहने पर नरेन्द्र कुमार चौधरी व उसके भाई मदन लाल जाट के नाम से कुल 09 पट्टे अपनी खातेदारी की जमीन में से प्राईवेट खातेदारी स्कीम के तहत जारी कर दिये थे जिनका भुगतान गजानन्द यादव द्वारा मेरे अभिभाष्य को किया जाना था लेकिन नरेन्द्र कुमार चौधरी व गजानन्द यादव के मध्य समझौता नहीं होने के कारण गजानन्द यादव ने मेरे अभिभाष्य को उक्त पट्टों को निरस्त करने का दिनांक 12.01.2024 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस दिलाया था जिसके आधार पर मेरे अभिभाष्य ने नरेन्द्र चौधरी व उसके भाई मदन लाल जाट के नाम से जारी किये गये सभी 09 पट्टों को दिनांक 13.01.202.4 को निरस्त कर दिया था, जिसकी सूचना मेरे अभिभाष्य ने नरेन्द्र कुमार चौधरी को जरिये फौन दे दी थी। दिनांक 13.01.2024 के बाद से निरस्त किये गये उक्त सभी पट्टों के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी लेन देन व संव्यवहार की जिम्मेदारी मेरे अभिभाष्य की नहीं थी और ना ही होगी। सूचित रहे।
दिनांक-4/4/2029 (सत्यपाल सिंह) एडवोकेट मोबाईल नं. 9413400132

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी
क्रमांक: 4337 दिनांक: 28.03.2024
—: आवश्यक सूचना :—
हर आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मूल आवंटी श्री अखिलेश कुमार गुप्ता आवास संख्या 3/40 पुरानी कॉलोनी, भिवाडी में आवंटन पत्रांक 3754 दिनांक 13.03.1986 के द्वारा आवंटित किया गया था। इनकी मृत्यु हो जाने के उपरान्त मण्डल द्वारा श्रीमती माया गुप्ता के पक्ष में मृत्यु उपरान्त नाम हस्तान्तरण आदेश क्रमांक 1555 दिनांक 22.11.2019 को जारी किया जा चुका है। श्रीमती माया गुप्ता की मृत्यु दिनांक 02.11.2021 को हो चुकी है। श्री अनुज गुप्ता ने प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रपत्र एवं श्रीमती माया गुप्ता की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं नोटरी पब्लिक से प्रमाणित वसीयतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इनकी माताजी का स्वर्गवास दिनांक 02.11.2021 को हो जाने के कारण उपरोक्त मकान संख्या 3/40 पुरानी कॉलोनी, भिवाड़ी जिला अलवर का प्रतिस्थापन हस्तांतरण उनके नाम किया जाये। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 3/40 पुरानी कॉलोनी, भिवाडी के संबंध में पिता, पुत्र, पुत्रियाँ, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री अनुज गुप्ता पुत्र स्व. श्री अखिलेश कुमार के पक्ष में उपरोक्त आवास संख्या 3/40 पुरानी कॉलोनी, भिवाड़ी जिला अलवर का मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तांतरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-भिवाडी

खोया पाया
आवास संख्या 112/436 मानसरोवर जयपुर का आवंटन पत्र व कब्जा पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। किशनचन्द मो. 8619572138

नाम परिवर्तन
मैंने मेरा नाम अरविन्द कुमार पुत्र श्री रिद्ध राज ढढ्ढा से बदलर अरविन्द कुमार ढढ्ढा पुत्र श्री रिद्ध राज ढढ्ढा निवास स्थान-14/33, गिरधर मार्ग, ऑप.अमित भारद्वाज पैट्रोल पम्प, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान-302017 रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

मैंने अपना नाम मांगी से बदलकर शान्ता देवी कर लिया है (जन्म तिथी 01/01/1950) अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पता- ग्राम गोरमगढ, तहसील जहाजपुर, जिला शाहपुरा, राजस्थान

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई–निविदा सूचना
मंडल रेल प्रबंधक (कैरिज व वैगन) उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से नीचे दिये गये कार्य के लिए दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। कोई भी मैन्युअल टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा और अगर कोई मैन्युअल टेण्डर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। **1. ई– निविदा संख्या:** M-137/C&W/Works/Roll-in and Roll-out Examination/DE; **2. कार्य का नाम व स्थान:** Developing Automated Roll-in and Roll-out Examination System at Jaipur Station, NWR. **3. अनुमानित लागत:** 49,22,970.00 मात्र (₹ उनचास लाख बाईस हजार नो सौ सत्तर मात्र); **4. बिड सिक्योरिटी राशी:** ₹98,500 मात्र (रु अट्ठानवे हजार पाच सौ रूपये मात्र); **5. ई–निविदा की अंतिम दिनांक और समय:** 25.04.2024 समय 15:00 बजे; **6. ई–निविदा खोलने की दिनांक और समय:** 25.04.2024 समय 15:00 बजे। उक्त ई–निविदा के समबध में विस्तृत जानकारी रेलवे की वेबसाईट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। 427-AN/24
हमें /NWRailways पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई– निविदा सूचना
निम्नलिखित कार्य के लिए भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से अलग–अलग मोहरबंद निविदाएं निर्धारित फार्म उप मुख्य इंजीनियर/ब्रिजलाईन, उ.प.रे., जयपुर कार्यालय से आमंत्रित की जाती है। **क्रम संख्या 1 निविदा संख्या:**–Dy.CE/Br.Line/2024-07; **2. कार्य का नाम एवं स्थान:** Metallizing of steel girder Br. No. 2,11,18 in HMH-SDLP Section,Br.No. 72 in SOG-APH sec. & Br. No. 8 in HSSR-RE Sec. of BKN Div,Br.No. 54,81,107, 122, 129 in SMR-BLDI Sec. Br. No. 35A in SMR-BME Sec. of JU Div., Br. No. 40 in JP-SWM sec. Br. No. 152DN in RE-JP Sec and metallizing on side pathway of Br. No. 6,23,73 DN,77,81,138DN 152UP,195DN, 198DN,200 DN in JP div., Providing Drainage pipes at 47 nos Major & important PSC Bridges of JP div. and Painting of steel girders of JU division. **3. अनुमानित कार्य की लागत:** 4,90,26,152.44; **4. बयाना राशि:** 3,95,100.00; **5. कार्य पूरा करने की अवधि:** 12 Months **6. निविदा फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि व समय:** 30.04.2024 at 15:00 Hrs; **7. वेबसाइट का विवरण:** www.ireps.gov.in 430-AN/24
हमें /NWRailways पर फॉलो करें

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 134/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री नवीन सिंघल पुत्र श्री प्रभुदयाल गुप्ता निवासी 45 शान्ति पथ संजय कॉलोनी आर.पी.ए. रोड जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत साम्भवी दिव्य योग ट्रस्ट प्रयास पता एन-7 कबीर मार्ग, कमल अपार्टमेन्ट के सामने बनीपार्क, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 03.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 06.06.2024
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
(ADJ-10 सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 06/2024
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम प्रफुल्ल प्रशांत पुत्र स्व.जितेन्द्र प्रसाद सक्सैना जाति कायस्थ
विवाद स्थान FDR केनरा बैंक शाखा-111/14, वी-मार्ट बिल्डिंग के पास कुम्भा मार्ग से-11 प्रताप नगर जयपुर
मृतक स्व.उर्मिला सक्सैना की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 8/4/24
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम उर्मिला सक्सैना पत्नि जितेन्द्र प्रसाद सक्सैना जाति कायस्थ निवासी म.नं.81/03 से.8 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 08 माह 04 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 20 माह 03 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
मोहर अदालत संख्या-10 जयपुर महानगर न्यायालय सांगानेर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय ADJ No.6 जयपुर महानगर (प्रथम)
यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी विरूद्ध मै.के.एण्ड ए.प्रोपकोन
वाद बाबत वसूली
वाद सं. CS 36 सन् 23
बनाम मै.के.एण्ड ए.प्रोपकोन LLP पहचान सं.AAG9582 पंजीबद्ध कार्यालय-119, आनंद नगर सिरसी रोड, जयपुर 302012
प्रार्थी ने आपके विरूद्ध.... के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 26 माह 04 सन् 24 को दिन में 7.30 बजे दांवे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता.28 माह 03 सन् 24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
वरिष्ठ रीडर
न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
मोहर क्रम-6, जयपुर महानगर प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. CMMC-2756/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम (1) गोधुराम (2) रमेश (3) रोशन लाल पुत्रान भौरीलाल जाट जाति जाट पता- 747/41 दुर्गा माता मंदिर के पीछे दुर्गापुरा जयपुर (4) मुन्नी देवी पत्नी श्रीराम नारायण पुत्री भौरी लाल निवासी 3669 जाट के कुवे का रास्ता तीसरा चौराहा चांदपोल बाजार जयपुर
मृतक कानाराम चौधरी की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 10.05.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम कानाराम चौधरी पुत्र भौरीलाल जाति जाट निवासी 747/41 दुर्गा माता मंदिर के पीछे दुर्गापुरा जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10 माह 05 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 04 माह 04 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीगण ने मृतक कानाराम के नाम प्रा.पत्र में वर्णित ग्रेच्यूटी राशि etc. बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
मोहर अदालत जयपुर महानगर प्रथम

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय ADJ No.6 जयपुर महानगर (प्रथम)
यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी विरूद्ध मै.के.एण्ड ए.प्रोपकोन
वाद बाबत वसूली
वाद सं. CS 36 सन् 23
बनाम अभिजीत यादव पुत्र स्व.कृष्णा यादव स्थान पार्टनर मैसर्स के.एण्ड ए.प्रोपकोन पता-119 आनन्द नगर सिरसी रोड जयपुर
प्रार्थी ने आपके विरूद्ध.... के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 26 माह 04 सन् 24 को दिन में 7.30 बजे दांवे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता.28 माह 03 सन् 24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
वरिष्ठ रीडर
न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
मोहर क्रम-6, जयपुर महानगर प्रथम

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सवाई माधोपुर (राज.)
क्रमांक-4073-82 दिनांक-04.06.2024
खुली निविदा सूचना
इस कार्यालय की समस्त शाखाओं एवं अधीनस्थ कार्यालय पुलिस लाईन थानों एवं चौकियों के उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी सामग्री क्रय करने हेतु सक्षम जी.एस.टी.एन. रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ताओं से वार्षिक दर पर संविदा हेतु खुली निविदा दिनांक 15.04.2024 समय 12 पीएम तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन 03.00 पी.एम. पर निविदादाताओं या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। उक्त निविदा सूचना विभागीय वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है आमंत्रित खुली निविदा का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	नाम सामग्री	अनुमानित राशि	निविदा फार्म	धरोहर राशि	निविदा खोलने की दिनांक/समय
1	स्टेशनरी सामग्री	04.00/- लाख रूपये	300/- रूपये	8000/- रूपये	15.04.2024 समय 03.00 पी.एम.

पुलिस अधीक्षक
जिला सवाई माधोपुर

गहलोत ने अपने रिश्तेदारों को 15 करोड़ की जमीन महज 3.67 करोड़ में दिलाई : अरूण चतुर्वेदी

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि, ''पहले भी चौहान बंधुओं को अवैधानिक रूप से खाने आवंटित कर चुके गहलोत''

भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी और प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ ने प्रेस को संबोधित किया।

- **'पेपर लीक के खिलाफ एक्शन में भाजपा की भजनलाल सरकार, इतिहास में पहली ऐसी कार्रवाई, ट्रेनिंग के दौरान 29 सब-इंस्पेक्टर हुए गिरफ्तार'**
- **एक ओर नारी शक्ति का अपमान करने वाली कांग्रेस, दूसरी ओर 33 प्रतिशत आरक्षण वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने वाली भाजपा : राखी राठौड़**

जयपुर। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार के 2008-13 के कालखंड में विभिन्न घोटाले हुए थे। भाजपा लगातार उस कालखंड में गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती रही थी। जिस प्रकार वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत ने चौहान बंधुओं को लाईम स्टोन की खाने अवैधानिक ढंग से आवंटित कर एक हजार करोड़ का घोटाला किया था। उसी तरह इस बार भी उन्होने अपने रिश्तेदारों को बिना नीलामी के कीमती जमीन सस्ती दरों पर दिलाकर उपकृत किया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने गहलोत के दबाव में 15 करोड़ की जमीन महज 3.67 लाख में उनके रिश्तेदारों को दे दी। इस नियम विरूद्ध बेचान के खिलाफ नगरीय विकास विभाग में जांच विचाराधीन है।

चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय रीट से लेकर एसआई भर्ती परीक्षा सहित कुल 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फिर गया। गहलोत सरकार में पेपर लीक की इतनी घटनाएं होने के बावजूद पेपर माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश में भाजपा की भजनलाल सरकार बनने के बाद लगातार पेपर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है, अभी तक 64 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इतिहास में पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है जब ट्रेनिंग करने वाले 29 सब-इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भाजपा सरकार आने के बाद 11 भर्ती परीक्षाएं हुई जो कि पूरी तरह पारदर्शी ढंग से हुई। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरों टोलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं की नारी शक्ति के प्रति किस प्रकार की मानसिकता है, वह लगातार उनके बयानों से नजर आती है। पहले राहुल गांधी ने शक्ति का अपमान किया और अब रणदीप सुरजेवाला ने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। इससे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी कंगना राणौत के खिलाफ बेहद घटिया बयान दिया था। जो प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं उनकी पार्टी के नेताओं के बयान सुनकर तो नहीं लगता कि वो महिलाओं के हितों के लिए लड़ेंगी।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ ने कहा कि दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं जो लगातार महिलाओं के उत्थान को लेकर प्रयासरत हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाकर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, शौचालय, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना और ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं'' जैसी मुहिम चलाई। आज देश में सेक्स रेसो की बात करें तो 1000 पुरूषों पर 1030 महिलाएं हैं जो कि मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का ही परिणाम है।

तीये की बैठक

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पिताजी **श्री श्रीराम शर्मा** का देहावसान दिनांक 03.04.2024 को हो गया है। जिसकी तीये की बैठक दिनांक 05.04.2024 को दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक सामुदायिक केंद्र, महेश नगर पर होगी।
शोकाकुल : किशन सहाय, मोहन लाल, द्वारका प्रसाद (भ्राता), वेदप्रकाश, राजेंद्र, रामावतार दीनदयाल (भतीजे) रवि एवं मनोज (पुत्र) रजनी-महेंद्रजी, एवं ज्योति-केदारजी (पुत्री-दामाद) अर्चित, अक्षित, आरव (पौत्र) यश, शार्विन (दोहिते) एवम समस्त छाडोलिया तुगणायत परिवार पता-एस-73 महेश नगर, जयपुर मोबाइल नंबर 8104218383, 9785003906

हमारे पूजनीय कवर सा
श्री राम शर्मा
निवासी एस-73 महेश नगर 80 फीट रोड का देवलोक गमन दिनांक 3 अप्रैल 2024 को हो गया है अतः ससुराल पक्ष की बैठक हेतु दिनांक 5/4/ 24 को सायं 4 से 5 बजे एकत्रित होने के लिए स्थान सामुदायिक केंद्र महेश नगर पर रखी गई है।
शोकाकुल- फतेह लाल शर्मा कुंज बिहारी श्याम बिहारी रमेश सतीश दिनेश राजेंद्र महेंद्र राजकुमार राजेंद्र योगेश गौरव सौरव एवं समस्त गंगा माता पांडा परिवार

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।